न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—308/2017/223 (2017/00308)

1. महावीर प्रसाद पुत्र जयकुमार अजमेरा,
2. सुशील कुमार पुत्र जयकुमार अजमेरा,
   दोनों जाति जैन, निवासी कृषि मण्डी रोड़, बिजयनगर, तह0बिजयनगर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजेन्द्रसिंह संचेती पुत्र मनोहरसिंह संचेती, जाति संचेती, निवासी स्टेशन रोड़, गुलाबपुरा, तह0 हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बिजयनगर, जिला अजमेर ।
3. प्राधिकृत अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बिजयनगर, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

4. प्रकाशचन्द पुत्र जयकुमार अजमेरा, जाति जैन, निवासी कृषि मण्डी रोड़ बिजयनगर, तह0 बिजयनगर, जिला अजमेर ।

तर0रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 23.11.2017 अंतर्गत वाद संख्या 6/2017.

उपस्थितः—

1. श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.
4. श्री सूरजनलाल मीणा, वकील रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 13.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.11.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 4 ने अधी0न्याया0 में रेस्पो0 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 एवं धारा 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रकरण पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बरल—द्वितीय तह0 मसूदा वर्तमान तहसील बिजयनगर स्थित खसरा नंबर 960 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वादी/अपीलांटस की खातेदारी की आराजी है । वादीगण एवं प्रतिवादी की आराजी एक सींव है । वादीगण अपनी आराजी खसरा संख्या 960 में मार्ग के लिये प्रतिवादी/रेस्पो0

संख्या 1 की आराजी खसरा संख्या 959 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा में से होकर मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए चले आ रहे है । यह रास्ता नक्शा ट्रेस में अंकित नहीं है किन्तु नगर नियोजन विभाग के जारी नक्शा में 30 फुट दर्शित है । वर्तमान अपीलांट के उक्त रास्ते में आने जाने में प्रतिवादी बाधा उत्पन्न करते है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 30 फुट चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 959 की मेड़ से वादीगण के खेत पर जाने के विधिक आधार पर दिया जावे तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । प्रतिवादी संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश किया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्रदिनांक 23.11.2017 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रकरण निरस्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंटस उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व खसरा नंबर 960 व 959 की जमाबंदी का बिना अवलोकन किये ही प्रकरण में लिप्त आराजी को क्षैत्राधिकार होते हुए भी खातेदारी की आराजी को कृषि भूमि नहीं मानकर निर्णय पारित कर दिया । अधी0न्याया0 ने धारा 251–ए एवं धारा 188 राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के अभिकथनों का भली भांति अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है । बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 को अधी 0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश करने का अधिकार नहीं है क्योंकि धारा 251–ए के तहत रास्ता दिये जाने का प्रावधान है तथा धारा 251–ए एक समरी कार्यवाही है । अपीलांटस एवं रेस्पो0 की आराजियात एक सींव जोड़ है तथा अपीलांटस की आराजी पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है । अधी0न्याया0 ने मूल बिन्दू को निर्णित किये बिना अपीलांटस का प्रकरण तकनीकी आधार पर खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है। विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2016 पेज 1281, आर0आर0टी0 2017 पेज 40 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । विवादित आराजियात खातेदारी की होने से रास्ता बाबत् सुनवाई का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलांटस ने उक्त वाद खसरा नंबर 959 के ले आउट प्लान जिसमें 30 फीट दर्शाय गये रास्ते के संबंध में तथा धारा 90–बी राज0भू–राजस्व अधि0 के आवेदन को वापिस लेने तथा तहसीलदार द्वापरा कार्यवाही नहीं करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था । रास्ते के संबंध में सुनवाई का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है । वादीगण द्वारा प्रस्तुत विधि द्वारा वर्जित होने से अधी0न्याया0 ने प्रार्थना

पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन कर वाद राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं होने से खारिज किया है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत वाद पेश कर स्वंय की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 960 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा में आवागमन हेतु रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 959 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा में से रास्ते का अनुतोष चाहा है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी खसरा नंबर 960 वादीगण/अपीलांटस की खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नंबर 959 रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज होकर कृषि आराजी है । रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में जो ऐतराज उठाये है उस संबंध में अधी0न्याया0 को वाद में तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर वाद को केवल मात्र तकनीकी आधार पर निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत खातेदारी आराजी में आवागमन का अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की आराजी में से रास्ता दिये जाने के प्रावधान दिये हुए है । हस्तगत प्रकरण में भी अपीलांटस ने उसकी खातेदारी आराजी में आवागमन का रास्ता नहीं होने के कारण रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी में रास्ते का अनुतोष चाहा है । अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद किस विधि से वर्जित है अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में स्पष्ट नहीं किया है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.11.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटस को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 13.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर